

Sub. District Registry Office, Danapur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 18954

चुंकि श्री Kumar Pranay ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का विवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 14/11/2007 से ता० 15/11/2021 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है—

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा	वार्ड नं०	खाता नं०	खेसरा रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ से	पृष्ठ तक	टि०
1.	Danpuar	Thana No. 18	Rukanpura	183	187	3 Katha			0			

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभार को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम Sri Anil Kumar Gupta
I.D.C.

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम Rekha Chaudhary
U.D.C.

कार्यालय

Sub District Registry
Office, Danapur

तारीख

17/11/2021

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथ्या प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेज में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हैं तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेगी।
3. किन्तु चुंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने आपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी ने की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. और चुंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उनके द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

प्रमाण सं० 18954

दिनांक = 17/11/2021

शाखा प्रबंधक LICHFL, Danapur, Patna के पत्र दिनांक 20/10/2021

के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर